

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 130/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. नारायण पिता जेराम कुम्हार
2. मु0 चान्दी बेवा जेराम कुम्हार सर्व निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता रामा कुम्हार
2. उदयराम पिता रामा कुम्हार
3. सुखलाल पिता हीरालाल कुम्हार
4. कालुराम पिता हीरालाल कुम्हार
5. सीमा पुत्री हीरालाल कुम्हार
6. लादी पुत्री हीरालाल कुम्हार
7. गीता पुत्री हीरालाल कुम्हार
8. काली पुत्री हीरालाल कुम्हार
9. चुन्नीलाल पिता मगनीराम पुर्बिया

सर्व निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

---विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 18/10/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सातलियास पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 348 रकबा 0.45 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 178 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सातलियास पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 348 रकबा 0.45 हे0 भूमि स्थित है।



क्रमश...02

उपखण्ड अधिकारी
गंगपुर जिला भीलवाड़ा

// 02 //

प्रकरण संख्या :- 130/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सो पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/- (चार सो पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
उपरवर्णित अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

प्रतिकृति
राजकोष